

# न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष — अरबिंद प्रसाद केशरी

बनाम

वाद सं0 06/2024 — 25

द्वितीय पक्ष — नितेश प्रसाद .... बगैरह।

| आदेश की क० सं० एवं तिथि | दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 30/9/24                 | <p>थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 18/2024 दिनांक 03/04/2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि <b>प्रथम पक्ष</b> (1) अरबिंद प्रसाद केशरी उम्र 66 वर्ष पिता स्व० इंदर प्रसाद केशरी (2) संतोष कुमार केशरी उम्र 40 वर्ष पिता अरबिंद प्रसाद केशरी (3) रंजीत केशरी उम्र 39 वर्ष पिता अनिल प्रसाद केशरी सभी ग्राम पालकोट, सभी थाना पालकोट जिला गुमला <b>बनाम द्वितीय पक्ष</b> (1) नितेश प्रसाद केशरी उम्र 36 वर्ष पिता रामसुंदर प्रसाद केशरी (2) विशाल कुमार केशरी उम्र 26 वर्ष पिता स्व० अशोक प्रसाद केशरी (3) जयशंकर प्रसाद केशरी उम्र 56 वर्ष पिता स्व० इंदर प्रसाद केशरी (4) प्रवीण कुमार केशरी उम्र 26 वर्ष (5) शुभम कुमार केशरी दोनों पिता जयशंकर प्रसाद केशरी सभी थाना पालकोट जिला गुमला के द्वारा पैतृक जमीन मकान दुकान के बंटवारे को लेकर विवाद लाया गया है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना है।</p> <p>उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में अनुपस्थित :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित ।</p> |                                |



30/9/24  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
बसिया (गुमला)।